वो अगर जान भी ले लें तो वाज़िब ठहरे, हमने उफ्फ भी जो कर दी तो गुनहगार हुए.

चन्द्रकान्त शाह के खिलाफ अपील में, सुनवाई पेशी आज तक नहीं लगी. क्यों?

छ.मु.मो. ने दिग्विजय सिंह को ज्ञापन प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

चन्द्रकान्त शाह का फरारी के आरोप I.P.C. U/S 224 के आरोप में बरी होना समकालीन न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ा काला धब्बा था जिसमें अभियुक्त-अभियोजन सांठगांठ के परिदृश्य (scenerio of prosecution and defence being hand-in-glove) के चलते, एक करोड़पति उद्योगपति को ''साक्ष्य के अभाव'' एवं ''शंका का लाभ'' देकर छोड़ दिया जाता है. ज्ञातव्य है कि नियोगी जी की हत्या का अपराधी चन्द्रकान्त शाह 28 अप्रेल 92 को रायपुर से न्यायिक हिरासत से फरार हुआ था. सी.बी.आई के तत्कालीन डी.आई.जी श्री एम.एल. शर्मा ने टी.वी. एवं राष्ट्रीय अखबारों में चन्द्रकान्त शाह को गिरफ्तार करने वाले को एक लाख रूपए देने की घोषणा की थी. करीब 18 माह बाद चन्द्रकांत शाह ने 19.10.93 को रायपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इसके बावजूद अदालत ने चन्द्रकान्त शाह को इस आधार पर बरी कर दिया कि रायपुर पुलिस अदालत में इस बात का सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई कि वह वास्तव में फरार हुआ था.

न्याय की इस सरासर हत्या से समूचे छत्तीसगढ़ की जनता हतप्रभ हो गई थी. जन-आंदोलन की मांग पर राज्य सरकार ने 21 जुलाई 1995 (M.CR.C.No. 3719/1995) में चन्द्रकान्त शाह की दोष-मुक्ति के खिलाफ माननीय म.प्र. हाईकोर्ट, जबलपुर में अपील याचिका दायर की गई थी. बहुत दुर्भाग्य की बात है 1995 में आवेदन लगाने के बाद से दाखिले के लिए सूची में भी नहीं आई है.

हमारी ओर से महाधिवक्ता महोदय को याद कराए जाने के बाद भी इस दिशा में कार्यवाही नहीं हुई है. जन-साधारण में यही चर्चा है कि जब करोड़पति उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही का मामला आता है तो सरकारी विधि-कार्यालय को लकवा क्यों मार जाता है?

अत: आप सुनिश्चित करें कि आपकी सरकार का विधि-कार्यालय फरारी प्रकरण में चन्द्रकान्त शाह की दोष-मुक्ति के खिलाफ अपील-याचिका पर त्वरित कार्यवाही करें. ताकि याचिका का दाखिला और सुनवाई मुक्कमल होकर, अपराधी चन्द्रकान्त शाह को उसके किए कि सजा मिल सके.

धन्यवाद .....

भवदीय

(जनकलाल ठाकुर)

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

विधायक